

## कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

### आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक-प.19(05)शिक्षा-2 / 2016 जयपुर दिनांक-27.07.18 के द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग(राईस) द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में निम्नांकित कार्मिक की प्रतिनियुक्ति राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए किये जाने की प्राप्त अनुभति के अनुसरण में प्रतिनियुक्ति पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं	कार्मिक का नाम मी/सूबी/श्रीमती	दत्तकर्ता पदस्थापन स्थान	प्रतिनियुक्ति हेतु पद	प्रतिनियुक्ति हेतु आवासीय विद्यालय का नाम
1	सदा राम चौधरी, प्रधानाचार्य	राउमादि, बैडिया काणी, आहोर, जालौर	प्रधानाचार्य	भेसवाड़ा(जालौर)
2	प्रनोद दमा, प्रधानाचार्य	अति. जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, दून्दी	प्रधानाचार्य	हिण्ठोली(दून्दी)
3	डॉ. शकुन्तला मीना, प्रधानाचार्य	राआउमावि, दौलतपुरा खलाक सपोटा, करौली	प्रधानाचार्य	अमरपुर(दौसा)
4	पांचू राम मीना, प्रधानाचार्य	राआउमावि, दासपां, मीनमाल, जालौर	प्रधानाचार्य	चाण्डपुरा(जालौर)

(कार्यालय डिप्टी)  
आई.एस.  
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/बी-५/राईस/2015

दिनांक- 23/7/18

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1— शासन उप सचिव, शिक्षा (घुप-2) विभाग, राज0, जयपुर
- 2— निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, रेजीडेन्सियल एज्युकेशनल इन्स्टीट्यूशन सोसायटी(राईस) कमरा नं० 411 अम्बेडकर भवन सिपिल लाईन फाटक के पास, जयपुर
- 3— संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कोटा/जयपुर/पाली/भरतपुर
- 4— जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय) जालौर/दून्दी/दौसा/करौली
- 5— संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक को पालनार्थ
- 6— अनुभाग अधिकारी, संस्थापन एफ, कार्यालय हाजा।
- 7— रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

**कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर**  
**कार्यालय—आदेश**

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.1४ (5) शिक्षा-2/2016, जयपुर दिनांक—27.07.18 की पालना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नियन्त्रणाधीन राईस द्वारा संचालित आकासीय विद्यालयों में साक्षात्कार का आयोजन कर निम्नलिखित चयनित आशार्थियों की प्रतिनियुक्ति राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम—144 के तहत एक वर्ष के लिये उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 06 में अकित स्थानों पर किये जाने की अनुमति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	मूल पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	प्रतिनियुक्ति हेतु पद	प्रतिनियुक्ति हेतु आकासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री मुकेश अजमेरा	व्याख्याता भौतिक विज्ञान	राजमार्ग पारोली कोटडी भीलवाडा	व्याख्याता भौतिक विज्ञान	आटूण (भीलवाडा)
2	श्री यादराम	व्याख्याता हिन्दी	राजाउमार्ग रोटेटा बून्ही	व्याख्याता हिन्दी	बालेटा (अलवर)
3	श्री प्रह्लाद कुमार सेठी	व्याख्याता जीव विज्ञान	राजमार्ग रामगढ़ पचवारा दौसा	व्याख्याता जीव विज्ञान	बालेटा (अलवर)
4	श्री खेमराज	व्याख्याता अंग्रेजी	आराउमार्ग केशवना साथला जालौर	व्याख्याता अंग्रेजी	भैसवाडा (जालौर)
5	श्री मन्जीत मीना	व्याख्याता अंग्रेजी	राजमार्ग सरमधुरा धोलपुर	व्याख्याता अंग्रेजी	छाण (स. माधोपुर)
6	श्री मोहन लाल मीना	व्याख्याता हिन्दी	राजाउमार्ग लुलोज करीली	व्याख्याता हिन्दी	छाण (स. माधोपुर)
7	श्री राकेश मीणा	व्याख्याता भौतिक विज्ञान	राजमार्ग बड़ीखांटू नागौर	व्याख्याता भौतिक विज्ञान	बाणपुरा (जालौर)
8	श्री सुरेश चन्द जोगी	व्याख्याता रसायन विज्ञान	राजमार्ग शेरहमोरी धोलपुर	व्याख्याता रसायन विज्ञान	देवलन (करीली)
9	श्री बीरबल राम	व्याख्याता हिन्दी अनिवार्य	आराउमार्ग ढूका ढूगरपुर	व्याख्याता हिन्दी अनिवार्य	हरियाली (जालौर)
10	श्री मनोज कुमार नरवाल	व्याख्याता इतिहास	राजाउमार्ग मांडल पाती	व्याख्याता इतिहास	केनपुरा (पाली)
11	श्रीमती लक्ष्मी रानी	व्याख्याता गृह विज्ञान	राजमार्ग लुहरिया प्रतापगढ़	व्याख्याता गृह विज्ञान	खोडन (बांसवाडा)
12	श्री ललित कुमार प्रजापति	व्याख्यात जीव विज्ञान	राजमार्ग छापरी खुर्द मेडता नागौर	व्याख्यात जीव विज्ञान	मण्डोर (जोधपुर)
13	श्री हीरालाल बलाई	व्याख्याता इतिहास	राजमार्ग कोत्यारी झाओल उदयपुर	व्याख्याता इतिहास	पावटा (नागौर)
14	श्रीमती वन्दना व्यास	व्याख्याता हिन्दी	राजमार्ग कोटू कोटा भीलवाडा	व्याख्याता हिन्दी	तेलीखेडा (भीलवाडा)

The deputation will be on the following terms and conditions:-

1	Pay	As admissible to him from time to time in Rajasthan Government plus deputation allowance 2.5% of the basic pay of the employees subject to the maximum of Rs. 600/-
2	D.A.	Dearness Allowances will be regulated under the rules of the parent Govt. or and the rules of borrowing Govt./Foreign employer according as pay is drawn in the parent pay scale or in pay scale of post held on deputation.

3	Travelling Allowance	Travelling Allowance shall be admissible according to the rules of borrowing Govt./Foreign employer or under the rules of parent Govt./Council whichever is more beneficial.
4	Other Allowance e.g. Compensatory Allowance, City Allowance, House Rent Allowance	Compensatory (City Allowance, HRA shall be admissible according to the rules of the parent Govt. or borrowing authority whichever is more beneficial.)
5	Medical Attendance	Medical concession shall be admissible according to the rules of borrowing Govt./Foreign employer or under the rules of parent Govt./Council whichever is beneficial.
6	(a) Pension Contribution	(a) During the period of deputation he will be governed by the pension rule of the lending authority or parent employer applicable to him before such transfer. The pension contribution shall be paid by the borrowing authority/foreign employer in accordance in the provisions contained in RSR.
	(b) Leave Salary	(b) Recovery of leave salary contribution in respect of Govt. servant shall not be made. The payment of leave salary including leave encashment benefits in respect of leave taken by a Government servant while on deputation/foreign service shall be made by the borrowing authority / foreign employer in discharge of their liability to pay the cost of leave salary to the Government payment of leave salary of Government servant who takes leave on the conclusion of the foreign service before rejoining his post under The Government. The liability of payment of leave salary in such case shall be borne by the borrowing authority in accordance with the finance department order No. F.7 (7)(43) Rules/58 dated 21.1.81.
7	Joining Time pay & T.A. for the journey on transfer to foreign service and on reversion there from.	To be paid by the foreign employer.
8	Leave Salary not leave contribution in respect of disability leave that may be guarantor on account of any disability incurred through such foreign Service even though disability manifests itself the expiry of foreign service.	To be paid by the foreign employer.
9	Period of deputation	One year from the date of joining or end of the project whichever is earlier.

*W. t. s.*  
 (नथमल डिलेल)  
 आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
 बीकानेर

दिनांक २४।७।।८

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/सी-४/प्रतिनियुक्ति/ राईस /2018  
 प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1— शासन उपसचिव, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा(ग्रुप-२) विभाग, राजस्थान सरकार ।
- 2— निदेशक, विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान रेजीडेन्शियल एज्यूकेशनल सोसायटी (राईस), कमरा न.-४१, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर ।
- 3— रक्षित पत्रावली

*Om Singh*  
 संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
 बीकानेर

*Om Singh*

**: : कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर : :**

**: : कार्यालय-आदेश : :**

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक-प.19(05)शिक्षा-2 / 2016 दिनांक-23.07.2018 की पालना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, के नियंत्रणाधीन राईस द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में साक्षात्कार का आयोजन कर निम्नांकित कार्मिकों का चयन कर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 6 में अंकित स्थान पर प्रतिनियुक्ति किये जाने की अनुमति एतदद्वारा प्रदान की जाती है। संबंधित नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल संबंधित कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति स्थान हेतु कार्यमुक्त कर पालना से अद्यौहस्ताक्षरकर्त्ता को अवगत करावें।  
प्रथम सूची :-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	मूल पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	प्रतिनियुक्ति हेतु पद	प्रतिनियुक्ति हेतु आवासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री जयदीप सिंह बडगुर्जर	वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी	राऊमावि इटभारिया भीलवाडा	वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी	आटूण (भीलवाडा)
2	श्रीमती अंजना शर्मा	अध्या.ले.-2, हिन्दी	राऊमावि गंगापुर	अध्या.ले.-2, हिन्दी	आटूण (भीलवाडा)
3	श्रीमती अनेता कुमारी खटीक	शारीरिक शिक्षक-II	राऊमावि बोली सवाईमाधोपुर	शारीरिक शिक्षक-II	आटूण (भीलवाडा)
4	श्री मनीष कुमार शर्मा	प्रयोगशाला सहायक	राऊमावि बड़लियास कोटडी भीलवाडा	प्रयोगशाला सहायक	आटूण (भीलवाडा)
5	श्री दिलीप कुमार	वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत	राऊमावि भीलवाडा, नीचा छबडा, बारा	वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत	अटरू (बारा)
6	श्री रोहित उपाध्याय	प्रयोगशाला सहायक	राऊमावि खजूरी जहाजपुर भीलवाडा	प्रयोगशाला सहायक	देवलन (करौली)
7	श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह	वरिष्ठ अध्यापक गणित	राऊमावि सांदेला नैनवा बून्दी	वरिष्ठ अध्यापक गणित	हिण्डोली (बून्दी)
8	श्री नरेश अच्छ पाटीदार	अध्या.ले.-2, संस्कृत	राऊमावि बिलोदा बांसवाडा	अध्या.ले.-2, संस्कृत	खोडन (बांसवाडा)
9	श्रीमती मीना प्रजापति	शारीरिक शिक्षक-II	राऊमावि कुन्दन पुर सांगोद कोटा	शारीरिक शिक्षक-II	मण्डाना (कोटा)
10	श्री रघुवीर सिंह	वरिष्ठ अध्यापक हिन्दी	राऊमावि हतुण्डी बावडी जोधपुर	वरिष्ठ अध्यापक हिन्दी	मण्डोर (जोधपुर)

कार्यालय का नाम- कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर :  
Email- ad.estf.dse@rajasthan.gov.in Contact-0151-2522238

11	श्री मनोहर लाल	शारीरिक शिक्षक-II	राउमावि भेड ओसिया जोधपुर	शारीरिक शिक्षक-II	मण्डोर (जोधपुर)
12	श्री ज्ञान चन्द पिपाडा	पुस्कालयध्यक्ष- III	राउमावि बेरा बनेडा भीलवाडा	पुस्कालयध्यक्ष- III	तेलीखेडा (भीलवाडा)
13	श्रीमती राजेश र्वमा	वरिष्ठ अध्यापक गणित	राउमावि हार्डीकला टोंक	वरिष्ठ अध्यापक गणित	वजीरपुरा (टोंक)
14	श्री रमेश चन्द बंशीवाल	वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी	राउमावि सुन्दरा बाडमेर	वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी	जसिन्धर स्टेशन (बाडमेर)
15	श्रमती संघमित्रा मीना	वरिष्ठ अध्यापिका गणित	राबाउमावि नाडोला देसुरी पाली	वरिष्ठ अध्यापक, गणित	मच्छीपुरा (स.माधोपुर)
16	श्री प्रभुलाल कोली	वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत	शहीद पेमाराम राउमावि नानण पीपाड शहर जोधपुर	वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत	मच्छीपुरा (स.माधोपुर)
17	श्री दारासिंह मीना	शारीरिक शिक्षक-II	राआउमावि सेवरिया पाली	शारीरिक शिक्षक-II	मच्छीपुरा (स.माधोपुर)
18	श्री मुनेश कुमार मीना	वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत	रामावि बोगला पाली	वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत	अमरपुर (दौसा)
19	श्री पुष्टेन्द्र सिंह	वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान	राउमावि महमदपुर टोडाभीम करौली	वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान	अमरपुर (दौसा)

निथमल डिले

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

दिनांक-२३/७/२०१४

क्रमांक:-शिविर-मा / संस्था / एफ-३ / १३४०७ / राईस / प्रतिनियुक्ति / २०१८ / ०

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- शासन उप सचिव-शिक्षा (ग्रुप-२) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 2- निदेशक, विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान रेजीडेन्सियल एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस) कमरा नं.-४११, अम्बेडकर भवन सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर।
- 3- समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा-
- 4- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)-
- 5- स्टॉफ आफिसर, निजी अनुभाग
- 6- संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक
- 7- रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

कार्यालय का नाम- कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर :

Email- ad.esttf.dse@rajasthan.gov.in Contact-0151-2522238

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर  
कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.19 (5) शिक्षा-2/2016, जयपुर दिनांक-03.05.18 की पालना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राईस द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में साक्षात्कार का आयोजन कर निम्नलिखित आशार्थियों का चयन कर उनके नाम के सम्बुख अंकित स्थान पर प्रतिनियुक्ति राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम- 144 के तहत एक वर्ष के लिये उनके नाम के सम्बुख कॉलम संख्या 06 में अंकित स्थानों पर किये जाने के आदेश जारी किये जाते हैं।

क्र. सं	कार्यक्रम का नाम	मूल पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	प्रतिनियुक्ति हेतु पद पद	प्रतिनियुक्ति हेतु आवासीय विद्यालय का नाम
1	दया शंकर खोईवाल	व्याख्याता हिन्दी	राउमारि, लकुमालवा, लक्ष्मणपुर	व्याख्याता हिन्दी	आटूण, भीलवाड़ा
2	रघुवरदास भीमा	व्याख्याता रसायन विज्ञान	राउमारि, नावदी, जगदारामगढ़, जयपुर	व्याख्याता रसायन विज्ञान	अटरू, बारो
3	बजरंग लाल	व्याख्याता भौतिक विज्ञान	राउमारि, कांकरिया, लालसोट, दौसा	व्याख्याता भौतिक विज्ञान	बागड़ी, दौसा
4	दीपक शर्मा	व्याख्याता रसायन विज्ञान	राउमारि, कांकरिया, झलारा, उदयपुर	व्याख्याता रसायन विज्ञान	छाण, सवाईमाधेपुर
5	छोगराम देवासी	व्याख्याता अंग्रेजी	राउमारि, बांगोदोरा	व्याख्याता अंग्रेजी	चाणपुरा, जालौर
6	देवदास	व्याख्याता हिन्दी	राउमारि, यानगढ़, अरणोद,	व्याख्याता हिन्दी	चाणपुरा, जालौर
7	जाकिर इस्मेन अंसरी	व्याख्याता हिन्दी	राउमारि, सहसपुरिया, हिण्डोली, बून्दी	व्याख्याता हिन्दी	हिण्डोली, बून्दी
8	जगदीश कुमार	व्याख्याता भूगोल	आराउमारि, पाठला, सांथोर, जालौर	व्याख्याता भूगोल	हरियाली, जालौर
9	मुकाब कमाल	व्याख्याता अंग्रेजी	गोगू राउमारि, आमदपुरी, बांसवाड़ा	व्याख्याता अंग्रेजी	खोड़न, बांसवाड़ा
10	आलोक शर्मा	व्याख्याता हिन्दी	आराउमारि, चौखली, झारपुर	व्याख्याता हिन्दी	खोड़न, बांसवाड़ा
11	योगेश चन्द्र भानोल	व्याख्याता इतिहास	राउमारि, टामटिया आनंदपुरा बांसवाड़ा	व्याख्याता इतिहास	खोड़न, बांसवाड़ा
12	पपूराम मीना	व्याख्याता भौतिक विज्ञान	आराउमारि, चौखली, तालाईगढ़ी बांसवाड़ा	व्याख्याता भौतिक विज्ञान	खोड़न, बांसवाड़ा
13	रेखा देव	व्याख्याता अंग्रेजी	मुख्येव भाई राउमारि, पुनाल, झारपुर	व्याख्याता अंग्रेजी	खेड़ाआसपुर झारपुर
14	सुनीता खण्डलवाल	व्याख्याता गृह विज्ञान	राउमारि, याकत्तू जयपुर	व्याख्याता गृह विज्ञान	वजीरपुरा, टोक
15	हितेश कुमार श्रीनाली	व्याख्याता हिन्दी	राउमारि, कुवं, झारपुर	व्याख्याता हिन्दी	सागवाड़ा झारपुर
16	रिजय सिंह मीना	व्याख्याता हिन्दी	राउमारि, बोली, सवाईमाधेपुर	व्याख्याता हिन्दी	मच्छीपुरा सवाईमाधेपुर
17	नखतमल, कोडेला	व्याख्याता हिन्दी	राउमारि, खलोकी को यायडी, गडरारोड, बाडमेर	व्याख्याता हिन्दी	जैसिन्धर स्टेशन, बाडमेर
18	विमोद कुमार	व्याख्याता हिन्दी	राउमारि, सुदरा, बाडमेर	व्याख्याता हिन्दी	जैसिन्धर स्टेशन, बाडमेर

The deputation will be on the following terms and conditions:-

1	Pay	As admissible to him from time to time in Rajasthan Government plus deputation allowance 2.5% of the basic pay of the employees subject to the maximum of Rs. 600/-
---	-----	---

2	D.A.	Dearness Allowances will be regulated under the rules of the parent Govt. or and the rules of borrowing Govt./Foreign employer according as pay is drawn in the parent pay scale or in pay scale of post held on deputation.
3	Travelling Allowance	Travelling Allowance shall be admissible according to the rules of borrowing Govt./Foreign employer or under the rules of parent Govt./Council whichever is more beneficial.
4	Other Allowance e.g. Compensatory Allowance, City Allowance, House Rent Allowance	Compensatory (City Allowance, HRA shall be admissible according to the rules of the parent Govt. or borrowing authority whichever is more beneficial.)
5	Medical Attendance	Medical concession shall be admissible according to the rules of borrowing Govt./Foreign employer or under the rules of parent Govt./Council whichever is beneficial.
6	(a) Pension Contribution	(a) During the period of deputation he will be governed by the pension rule of the lending authority or parent employer applicable to him before such transfer. The pension contribution shall be paid by the borrowing authority/foreign employer in accordance in the provisions contained in RSR.
	(b) Leave Salary	(b) Recovery of leave salary contribution in respect of Govt. servant shall not be made. The payment of leave salary including leave encashment benefits in respect of leave taken by a Government servant while on deputation/foreign service shall be made by the borrowing authority / foreign employer. In discharge of their liability to pay the cost of leave salary to the Government payment of leave salary of Government servant who takes leave on the conclusion of the foreign service before rejoining his post under The Government. The liability of payment of leave salary in such case shall be borne by the borrowing authority in accordance with the finance department order No. F.7 (7)(43) Rules/58 dated 21.1.81.
7	Joining Time pay & T.A. for the journey on transfer to foreign service and on reversion there from.	To be paid by the foreign employer.
8	Leave Salary not leave contribution in respect of disability leave that may be guarantor on account of any disability incurred through such foreign Service even though disability manifest itself the expiry of foreign service.	To be paid by the foreign employer.
9	Period of deputation	One year from the date of joining or end of the project whichever is earlier.

*(Signature)*  
(नियमित डिलेल)  
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
बीकानेर

दिनांक— 25.5.18

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-८/प्रतिनियुक्ति/राईस /2018/6  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1— शासन उपसचिव, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार।
- 2— निदेशक, विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान रेजीडेन्चियल एज्यूकेशनल सोसायटी (राईस), कमरा न.-41, अम्बेडकर भवन, सिदिल लाईन फाटक के पास, जयपुर।
- 3 — रक्षित पत्रावली

*(Signature)*  
भयुक्त निदेशक(कार्यक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

मेरा

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर  
कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक-प.19(05)शिक्षा-2/2018 दिनांक-03.05.18 की पालना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर के नियंत्रणाधीन राईस द्वारा संबंधित आवासीय विद्यालयों में साक्षात्कार का आयोजन कर निम्नांकित कार्मिकों का घयन कर उनके नाम के सम्मुख अकित स्थान पर प्रतिनियुक्ति 'राजस्थान सेवा नियम-1951' के नियम-144 'क' के तहत एक वर्ष के लिए उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-06 में अकित स्थान पर किये जाने की अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती है। संबंधित नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल संबंधित कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति स्थान हेतु कार्यमुक्त कर पालना से अद्यौहस्ताकरकर्ता को अवगत करावे।

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	मूल पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	आवेदित पद	आवासीय विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री अनुल चौधरी	शासी-ग	राउमावि, बावलवाडा तह, छैरवाडा, उदयपुर	शासीरिक शिक्षक-ग	बाठटा (अलवर)
2	प्रमेश चन्द्र पाटीदार	वरिष्ठ अध्यापक -संस्कृत	राउमावि, चौरडी, आनन्दपुरा, बांसवाडा	वरिष्ठ अध्यापक-संस्कृत	खोड़न (बांसवाडा)

नोट:-उक्त कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें की इनके द्वारा परीक्षाओं की कार्यपाली जाँच कर ली गई है तथा इनके द्वारा परीक्षा परिणाम तैयार कर लिया गया है।

८/५

(नथमल डिडेल)

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक-13/06/18

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/एफ-3/13407/राईस/प्रतिनियुक्ति/2018/5

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- शासन उप सचिव-शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 2- निदेशक, विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान रेजीडेन्सियल एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस) कमरा नं.-41, अम्बेडकर भवन सिविल लाइन फाटक के पास, जयपुर।
- 3- उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) उदयपुर/बांसवाडा
- 5- स्टॉफ आफिसर, निजी अनुभाग
- 6- संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक
- 7- रक्षित पत्रावली

८/५  
संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर